संख्या:–593/XXVIII–2/2016–01(20)/2013

प्रेषक,

डा0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2. निदेशक,
आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक 12 अगस्त, 2016

विषयः चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत एम0ओ0सी0एच0 संवर्ग के 90 पदों/इसके विरूद्ध कार्यरत नियमित/संविदा चिकित्सकों को पद सहित आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग को आवंटित/स्थानान्तरित करने सम्बन्धी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्याः–2प/रा0प्र0/04/2009/टी0सी0–2/4220 दिनांक 24 फरवरी, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत एम0ओ0सी0एच0 (चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य) संवर्ग के 90 पदों/इसके विरूद्ध कार्यरत नियमित/संविदा चिकित्सकों को पद सहित आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा विभाग को आवंटित/स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. एम0ओ0सी0एच0 संवर्ग का प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग के अन्तर्गत होगा।
2. आयुर्वेदिक विभाग के अन्तर्गत एम0ओ0सी0एच0 संवर्ग में कार्यरत चिकित्सकों हेतु पृथक संवर्ग रहेगा। शासन के अग्रिम आदेशों तक इन पदों पर नियमित/संविदा के आधार पर कोई नई नियुक्ति नहीं की जायेगी।
3. वेतन आहरण एवं अन्य प्रशासनिक प्रकियाओं हेतु चिकित्सा विभाग के आयुष विंग के अन्तर्गत कार्यरत आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों की व्यवस्था के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।
4. उक्त चिकित्साधिकारियों का समस्त अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। निदेशालय स्तर से आयुर्वेदिक

चिकित्साधिकारियों के वेतन, नियुक्ति, संविदा आदि कार्यों का निर्वहन किया जायेगा।

2– यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या:–51(NP)/XXVII (3)/2016–17 दिनांक 11 अगस्त, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

संख्या–593/ XXVIII–2/2016–01(20)2011, तददिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव/सचिव–वित विभाग/कार्मिक विभाग/न्याय विभाग उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त कुमाऊ/गढ़वाल मण्डल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल/कुमाऊ मण्डल पौड़ी/नैनीताल।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
7. समस्त प्रमुख अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक।
8. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिल जोशी)
अनुसचिव।

संख्याः-   /XXVIII-2/2016-01(20)/2013

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2. निदेशक,
आर्युवेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग-2   देहरादूनः दिनांक 29 अगस्त, 2016

विषयः राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों में कार्यरत (बी0ए0एम0एस0 डिग्रीधारक)संविदा आयुर्वेदिक चिकित्सकों को एम0ओ0सी0एच0 (चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य) के 90 पदों के विरूद्ध आयुर्वेदिक विभाग को स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून पत्र के संख्याः-2प/रा0पु0/04/2009/टी0सी0-2/4220 दिनांक 24 फरवरी, 2016 के सन्दर्भ में शासन के आदेश संख्याः-593/XXVIII-2/2016-01(20)/2013 दिनांक 12 अगस्त, 2016 के क्रम में आयुर्वेदिक विभाग उत्तराखण्ड को स्थानान्तरित एम0ओ0सी0एच0 संवर्ग के 90 पदों के विरूद्ध चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के पदों के सापेक्ष कार्यरत बी0ए0एम0एस0 डिग्रिधारक संविदा आयुर्वेदिक चिकित्सकों को निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग उत्तराखण्ड को स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1. संविदा आयुर्वेदिक चिकित्सकों को संविदा पर उनके चयन हेतु निर्धारित की गई मेरिट/श्रेष्ठता सूची के अनुसार ही एम0ओ0सी0एच0 के रिक्त पदों के विरूद्ध संविदा चिकित्सक के रूप में स्थानान्तरित किया जायेगा।
2. ऐसे आयुर्वेदिक संविदा चिकित्सक जो एम0ओ0सी0एच0 संवर्ग में पद रिक्त न होने के कारण स्थानान्तरित नहीं हो पायेगें वह पूर्व की भांति चिकित्सा विभाग में यथावत कार्य करते रहेंगे। रिक्तियॉ उपलब्ध होने पर ऐसे चिकित्सकों को मेरिट/श्रेष्ठता क्रम में एम0ओ0सी0एच0 संवर्ग में स्थानान्तरित किया जायेगा।
3. एम0ओ0सी0एच0 संवर्ग के अन्तर्गत तैनात होने वाले उक्त संविदा आयुर्वेदिक चिकित्सक प्रथमतः अपनी पूर्व तैनाती स्थल पर ही योगदान देंगे।
4. नई पदस्थापना/तैनाती सम्बन्धी आदेश निदेशक, आयुर्वेद द्वारा महानिदेशक चिकित्सा द्वारा की गई मांग के अनुसार प्रदेश के पर्वतीय/दुर्गम स्थानों एवं एम0ओ0सी0एच0 के चिन्हित एलोपेथिक चिकित्सालयों में करेंगे।
5. उक्त आयुर्वेदिक संविदा चिकित्सको द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से ही उपचार दिया जायेगा।

6. वेतन आहरण एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं हेतु चिकित्सा विभाग के आयुष विंग के अन्तर्गत कार्यरत आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों हेतु प्रचलित/निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।

2:– यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

संख्या–776/ XXVIII–2/2016–01(20)2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव/सचिव–वित विभाग/कार्मिक विभाग/न्याय विभाग उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त कुमाऊ/गढ़वाल मण्डल।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ऑबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल/कुमाऊ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, एन0आई0सी0 देहरादून।
9. समस्त प्रमुख अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक।
10. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिल जोशी)
अनुसचिव।